

कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड,
(वैट-अनुभाग)
देहरादून: दिनांक ०५, जनवरी 2008

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी-२

महोदय,

उत्तराखण्ड वाणिज्य कर विभाग में कर निर्धारण हेतु डिप्टी कमिश्नर (क०नि०), खण्ड में तैनात असिस्टेन्ट कमिश्नर व वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी-२ कार्यरत है। उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पूर्व व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण अधिकारियों की क्षेत्राधिकार हेतु मौद्रिक सीमाएं परिपत्र सख्ति- (१)-(ए-८)-(८७-८८)/(९१-९२)/ 1009/ मुख्यालय दिनांक 11 सितम्बर, 1991 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित थी।

१- डिप्टी कमिश्नर (क०नि०)	25 लाख से अधिक कर योग्य विक्रय धन
२- असिस्टेन्ट कमिश्नर	3 लाख से 25 लाख तक कर योग्य विक्रय धन तथा 15 लाख से अधिक सकल विक्रय धन
३- वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी-२	रु० ३ लाख तक कर योग्य विक्रय धन तथा 15 लाख तक सकल विक्रय धन

उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त भी इसी मौद्रिक सीमा को अपनाया गया है तथा वर्तमान में भी इसी मौद्रिक सीमा के अनुसार अधिकार क्षेत्र निर्धारित है।

उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक ०१-१०-२००५ से मूल्य वर्धित कर (वैट) व्यवस्था लागू की गई है। कर-निर्धारण के दृष्टिकोण से व्यापार कर प्रणाली व वैट प्रणाली में निम्न प्रमुख अन्तर है:-

- १- वैट अधिनियम 2005 के अनुसार अनुसूची- I, III व IV की वस्तुएँ, स्टाक ट्रांसफर व निर्यात द्वारा की गई बिक्री करमुक्त है। शेष समस्त बिक्री कर योग्य है।
- २- व्यापार कर प्रणाली में ट्रेडिंग कर रहे व्यापारियों पर एक बार कर आरोपित होने पर दोबारा कर नहीं लगता था। वैट प्रणाली में प्रत्येक बिन्दु पर कर देयता की व्यवस्था है।
- ३- व्यापार कर प्रणाली में पंजीयन की सीमा ट्रेडर्स के लिए 1.5 लाख रुपये व निर्माताओं के लिए एक लाख रुपये (यदि किसी विभागीय रूपपत्र को प्रयोग न किया गया हो या केन्द्रीय बिक्री न की गई हो) निर्धारित थी। वैट प्रणाली में यह सीमा सभी प्रकार के व्यापारियों (ऐसे व्यापारियों को छोड़कर जिन्होंने किसी विभागीय रूपपत्र का प्रयोग किया है या केन्द्रीय बिक्री की है) के लिए 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए पूर्व में निर्धारित मौद्रिक सीमा अव्यवहारिक हो जाती है। अतः उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त दिनांक 11-09-1991 को जारी उक्त परिपत्र को अतिक्रमित करते हुए कर निर्धारण अधिकारियों के क्षेत्राधिकार हेतु मौद्रिक सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :—

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1— डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) | 1 करोड़ से अधिक सकल विक्रय धन |
| 2— असिस्टेन्ट कमिश्नर | 25 लाख से अधिक व 1 करोड़ तक सकल विक्रय धन |
| 3— वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी—2 | रु0 25 लाख तक सकल विक्रय धन |

यह मौद्रिक सीमा 01-04 -2008 के बाद निस्तारित किये जाने वाले 2005-06 एवं उसके बाद के वर्षों के कर निर्धारण वादों के लिए लागू होंगी।

इस सम्बन्ध में कर निर्धारण कार्य में लगे सभी अधिकारियों को आदेश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 15-05-2008 तक सभी अभिलेखों का हस्तान्तरण पूर्ण कर लें तथा पंजी आर-5 (ए) पर अनिस्तारित वादों की पेन्डेन्सी ठीक कर लें।

इस सन्दर्भ में एडिशनल कमिश्नर (जोन) व ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) उक्त निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को देंगे तथा मानिटरिंग करेंगे। सभी ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) इस आशय की रिपोर्ट कि उक्त निर्देशों के अनुरूप अभिलेखों का हस्तान्तरण हो गया है, दिनांक 20-05-2008 तक मुख्यालय भेजेंगे एवं उसकी एक प्रति एडिशनल कमिश्नर (जोन) को भी भेजेंगे।

(एल0एम0 पन्त)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

३३४। | ०५-०१-०८ -3-

प्र०प०स० दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्ड्रा नगर देहरादून।
- 3— अध्यक्ष / सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून / हल्द्वानी।
- 4— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जौन देहरादून / कुमाऊँ जौन रुद्रपर।
- 5— एडिशनल कमिश्नर (आडिट) / प्रवर्तन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6— समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7— ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी।
- 8— ज्वाइन्ट कमिश्नर (विओनुओशा०/प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार / रुद्रपुर।
- 9— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनोआई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वैवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 10— श्री वी०के० वर्मा, विशेष कार्यधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/ अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11— नेशनल लॉ हाउस बी-२ मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 12— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-१५/५ राजनगर गाजियाबाद।
- 13— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 14— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 15— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त कर,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

५/१/२००८